दिल्ली विकास प्राधिकरण

10 फरवरी 2021 को सुबह 11.00 बजे वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

इसमें निम्नलिखित उपस्थित थे।

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री अनुराग जैन

<u>सदस्य</u>

1. श्री विजय कुमार सिंह
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री कामरान रिज़वी
   अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्री विजेंद्र गुप्ता, विधायक
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री ओ पी शर्मा, विधायक

<u>सचिव</u>

श्री डी.सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.व.प्रा.

<u>विशेष आमंत्रिती</u>

1. श्रीमती रेनु शर्मा
   अपर मुख्य सचिव (यूडी), जीएनसीटीडी
2. श्री मनीष कुमार गुप्ता

सदस्य (प्रशा. एवं भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा.

3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भूदृश्यांकन, आवास एवं उद्यान), दि.वि.प्रा.
4. श्री जे पी अग्रवाल
   सचिव (एल एण्ड बी), जीएनसीटीडी
5. श्री ज्ञानेश भारती
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>उप राज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला
   सचिव, उपराज्यपाल
2. श्रीमती तन्वी गर्ग
   उप राज्यपाल की विशेष सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद सं. 12/2021</u>

दिनांक 12.01.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ.2(1)2021/एमसी/दि.वि.प्रा.

दि.वि.प्रा. की दिनांक 12.01.2021 को आयोजित बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

इसके अतिरक्त, निम्नलिखित का उल्लेख किया गया:-

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा यह उल्लेख किया गया कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत एकीकृत भवन निर्माण उप-विधि, दिल्ली-2016 में प्रस्तावित संशोधनों की मसौदा अधिसूचना के अनुमोदन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ चर्चा के दौरान यह सामने आया कि ड्राफ्टिंग की स्पष्टता के लिए पैरा 2.9.2 (i) और 10.2.1 सी और अनुलग्नक X-सी (i) में 'दोहरी पाइपिंग प्रणाली' शामिल की जाए। प्राधिकरण ने इसे ध्यान में रखा और तद्नुसार, आवासन अैर शहरी कार्य मंत्रालय को संशोधित मसौदा भेजा जाए।

2. श्री सोमनाथ भारती, माननीय सदस्य, ने बताया कि दिनांक 06.01.2021 की ईमेल के तहत दिनांक 23.12.2020 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में कुछ संशोधनों के बारे में सुझाव दिया। 12.01.2021 को प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में संशाधनों को शामिल करने की बजाय, इन सुझावों को 'अन्य बिन्दु' में शामिल किया गया। उन्होंने आगे यह भी पाया कि - सामुदायिक केंद्र के लिए एप्रोच रोड प्रदान करने के लिए कुम्हार बस्ती स्थित झुग्गियों को पुन-अवस्थापित किया जाएगा के स्थान पर बैठक के कार्यवृत्त में - ''कुम्हार बस्ती स्थित झुग्गियों को लागू किसी भी चालू आवासीय परियोजना के तहत आवास प्रदान किया जाएगा और तद्नुसार कुम्हार बस्ती स्थित प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र के लिए एप्रोच रोड प्रदान करने हेतु उसके बाद पुन: अवस्थापित किया जाएगा को रिकॉर्ड किया जाएगा। प्राधिकरण ने इसे ध्यान में रखा।

<u>मद सं. 13/2021</u>

दिनांक 12.01.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट।

एफ.2(1) 2021/एमसी/डीडीए

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 12.01.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) के संबंध में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियां दी।

<u>श्री विजेंद्र गुप्ता</u>

i) पीएम-उदय स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर समय-बद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए और आवेदकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे अपने मामले की स्थिति के बारे में जाने सके।

ii) सेक्टर-18, सूरज पार्क, रोहिणी स्थित आरडब्ल्यूए परिसर में स्थापित पीएम-उदय केन्द्र को स्थानान्तरित किया जाए क्योंकि इस परिसर को आधार कार्ड बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जा रहा है।

सोमनाथ भारती

i) यद्यपि यह पहले ही सूचित किया गया था कि कुम्हार बस्ती स्थित झुग्गियों को सुरक्षित किया गया है, एटीआर में यह उल्लेख किया गया है कि डीयूएसआईबी के अनुसार अधिसूचित जे जे क्लेस्टरों की सूची में ये शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र हेतु एप्रोच रोड प्रदान करने के लिए झुग्गियों के पुन:अवस्थापन से संबंधित मामले पर जांच चल रही है। इन मामलों का समाधान प्राथमिकता आधार पर किया जाएगा।

ii) बेगमपुर में खसरा न. 110 से संबंधित मामले में दि.वि.प्रा. ने मामले को न्यायालय में सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया।

iii) अर्जुन नगर में जन-सुविधाओं के विकास के लिए, अभी भी निरीक्षण किए जा रहे हैं और मामले का अभी तक समाधान नहीं हुआ है।

iv) एपीजे स्कूल, साकेत और डीडीए के बीच विवाद के संबंध में एटीआर सही नहीं है, क्योंकि एटीआर में उल्लिखित समीक्षा याचिका डीडीए द्वारा दायर नहीं की गई बल्कि आवेदक द्वारा की गई थी और डीडीए ने अपनी समीक्षा याचिका 05.01.2021 को ही दायर की थी। श्मशान घाट को इसके प्रचालन हेतु एसडीएमसी को सुपुर्द किया जाए।

श्री ओपी शर्मा

i) डीडीए को दि.वि.प्रा. परियोजनाओं की वर्कमैनशिप को गुणवत्ता को सुधारने के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। डीडीए को बेहतर गुणवत्ता वाली वर्कमैनशिप के लिए नया स्लोगन भी लांच करना चाहिए।

मद सं. 14/2021

विशिष्ट उद्देश्य/उद्देश्यों के लिए नीलाम किए गए किन्तु पट्टे में निर्दिष्ट उद्देश्य से भिन्न उपयोग होने वाले/उपयोग किए जाने वाले व्यावसायिक प्लाटों (व्यावसायिक क्षेत्रों में) के संबंध में दरों का निर्धारण, भले ही ऐसे उपयोग दि.मु.यो.-2021 के अनुरूप है। एफ.1(मिस्ले.)2019/चेंज ऑफ लैंडयूज/सीएल

प्राधिकरण सदस्यों ने यह मामला उठाया कि प्रस्तावित दरें बहुत अधिक हैं और इन्हें तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। तद्नुसार एजेंडा मद को पुनः जांच के लिए आस्थगित किया गया।

मद सं 15/2021

डीडीए द्वारा आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और सांस्थानिक प्लॉटों पर निर्माण कार्य के समापन हेतु समय-विस्तार।

एफ.पी.ए/डीडी/एलएबी(आरओ)2017/सी.एफ./डीडीए

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद सं.16/2021

योजना जोन-'डी' में प्लॉट सं. 30 बी, 36 और 38 तथा योजना जोन-सी में सिविल लाईंस/माल रोड के समीप चंद्रावल स्थित 6.54 एकड़ माप के प्लॉट के भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20(12)2019/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11क के अंतर्गत आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद सं.17/2021

योजना क्षेत्र 'एफ' के अंतर्गत आने वाले तेहखंड स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं (सी एंड डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए) और निष्क्रिय सामग्री की डंपिंग साइट के लिए 10.99 एकड़ (9 एकड़+1.99 एकड़) के क्षेत्र के भूमि उपयोग का मनोरंजन से उपयोगिता (यू 4) में परिवर्तन का प्रस्ताव।

एफ.3(60)2005/एमपी/पार्ट

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 'क' के तहत आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना को जारी किया जाए।

मद संख्या 18/2021

विकसित क्षेत्रों (ए से एच) और शहरी विस्तार परियोजनाओं (द्वारका, रोहिणी और नरेला) में खाली/गैर-आवंटित नर्सरी स्कूल साइटों/भूखंडों के वैकल्पिक उपयोग के लिए नीति।

इस पर चर्चा की गई और सहमति व्यक्त की गई "ग्रीन" और "पार्किंग" को अनुमेय उपयोगों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। तद्नुसार संशोधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 19/2021

योजना जोन-डी में आने वाले पॉकेट-V, डीडीयू मार्ग स्थित भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली प्रदेश) को आबंटित 809 वर्ग मी. माप के क्षेत्र के भूमि उपयोग का 'आवासीय (नर्सरी स्कूल)' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं' में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ20(02)2015/एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 'क' के तहत मामले को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

श्री सोमनाथ भारती, माननीय सदस्य ने पाया कि भूमि उपयोग के परिवर्तन के बाद भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए था और मामले में उनकी असहमति दर्ज की जानी चाहिए थी। यह स्पष्ट किया गया कि आवंटन एलएंडडीओ द्वारा किया गया था।

<u>संख्या 20/2021</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशन स्थापित करने की नीति के संबंध में चार समान तिमाही किश्तों में उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान करने के विकल्प को वापस लेना।

एफ.5(8)2019/एओ (पी)/डीडीए

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत मामले को दिविप्रा द्वारा अधिसूचना से पहले अनुमोदन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाए।

<u>मद संख्या 21/2021</u>

वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान

एफ.4(3) 91/बजट/आरबीई/2020-21

1. वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों पर चर्चा की गई।
2. उचित विचार-विमर्श के बाद, वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 22/2021</u>

हरित विकास क्षेत्र के लिए मसौदा नीति।

एफ.20(1)2021-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमोदित किया गयाः

1. ग्रीन ब्लू फैक्टर (जीबीएफ) का गठन, जो हरे नीले रंग की विशेषताओं को मापने, मूल्यांकन करने और सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

2. अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण और बरसाती जल की टैपिंग के लिए इन्सेंटिव और डिसन्सेंटिव के लिए निर्देश।

3. आईजीपी में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की संपूर्ण विकास लागत के वित्तपोषण के लिए रियायती ईडीसी से संबंधित प्रावधानों को फिर से देखने की जरूरत है।

4. अनिवार्य वन क्षेत्र शब्द को विनिर्दिष्ट किया जाए जिससे जलवायु और मिट्टी के लिए लाभप्रद ऐसे पेड़/पौधों को लगाया जाए जो वायु प्रदूषण/कृषि उत्पादकता पर अधिक प्रभाव डालें साथ ही जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता हो।

5. आउटसोर्सिंग के लिए प्रस्तावित सेवाओं को कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

टिप्पणियों के उचित समावेशन के बाद नीति को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के तहत आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 45 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए।

<u>प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए ''अन्य मुद्दे''</u>

<u>श्री विजेंद्र गुप्ता</u>

(i) डीडीए ने वित्तीय वर्ण 2020-21 में दुकानों की नीलामी से केवल 5 करोड़ रुपये कमाए हैं। हालांकि डीडीए द्वारा बनायी गई कई दुकानों का निपटान नहीं हुआ है, इस मामले की गंभीरता से जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। केवल रोहिणी में ही डीडीए द्वारा कई साल पहले निर्मित 220 फ्लैट और कई सौ दुकानों का अभी तक निपटान नहीं किया गया है।

(ii) सीएससी प्लॉटों की नीलामी भी आयोजित की जानी चाहिए।

(iii) 1981 रोहिणी आवासीय स्कीम का म्युटेशन और पट्टा निष्पादन समय पर नहीं किया जा रहा है।

(iv) सभी नीलाम संपत्तियों के लिए मांग पत्र जारी नहीं किए गए हैं और कब्जा नहीं सौंपा गया है। एक रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष रखी जाए।

(v) डीडीए मल्टी-लेवल पार्किंग प्लाटों के नगर निगमों को आवंटित करने की शर्त में बदलाव पर विचार करना चाहिए और नगर निगम द्वारा नीलामी से बोली राशि प्राप्त करने के बाद भूमि शुल्क का 25% भुगतान किया जाए।

(vi) मल्टी लेवल पार्किंग के लिए ऊंचाई प्रतिबंध को केस टू केस आधार पर छूट दी जा सकती है।

(vii) आईएफसी नरेला में ट्रांसपोर्टरों के लिए ड्रॉ आयोजित किया गया है लेकिन कोई मांग नहीं उठाई गई है।

(viii) पार्कों में रोशनी का प्रबंध किया जाना चाहिए।

(ix) धार्मिक भूखंडों के लिए आवंटन नीति को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(x) सामुदायिक हॉल का उपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उनके द्वारा अभी तक मसौदा नीति प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) सीपीडब्ल्यूडी दिशानिर्देशों के अनुसार 10.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत कार्यों के लिए ही तीसरे पक्ष से गुणवत्ता आश्वासन किया जा रहा है। इसके बजाय स्थानीय निकायों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानदंडों को अपनाया जाए।

(xii) लैंड पूलिंग योजना को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। 300 के एफआर पर विचार किया जाए।

(xiii) डीडीए को रेस्को मॉडल के माध्यम से एलईडी लाइटों के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में लाइटें लगाने और रखरखाव के लिए नगर निगमों के मॉडल को अपनाना चाहिए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

(i) डीडीए द्वारा आवंटित आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत प्लाटों का विवरण उपलब्ध करवाया जाए जो अभी भी खाली पड़े हैं या उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।

<u>श्री ओ पी शर्मा</u>

(i) उनके निर्वाचन क्षेत्र में डीडीए की कई दुकानों का निपटान होना बाकी है।

(ii) पार्कों के रखरखाव के लिए पुनर्चक्रित पानी का उपयोग किया जाए।

(iii) समाप्त हो चुके पट्टों के विस्तार के लिए एक नीति तैयार की जाए।

(iv) कड़कड़डूमा में आर्य नगर हरिजन बस्ती के लिए पहुंच मार्ग प्रदान किया जाए।

(v) एक समयबद्ध तरीके से पीपीपी मोड पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से एक पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाना चाहिए।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।

.....